जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 18 / डी– 68   दिनांकः– 31-1-18

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **141वीं बैठक दिनांकः 23.01.2018 को मध्याह्नः 12.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		141:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 140वीं बैठक दिनांक 04.12.17 के कार्यवाही विवरण में संशोधन व पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 140वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 140वीं बैठक दिनांक 04.12.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 140 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष जाहिर करते हुये शेष प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गये। एलपीसी की 126वीं बैठक दिनांक 10.08.16 के प्रस्ताव संख्या 126:13(5) में ग्राम हरनाथपुरा के खसरा नं. 223 में से आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उक्त खसरा नं. सहवन से अंकित हो गया। जिसे खसरा नं. 233 संशोधित करने का निर्णय लिया गया।
2.	2	141:2	जिला पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण), को महिला थाना जिला जयपुर (ग्रामीण) के प्रशासनिक / आवासीय भवनों हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर–10 में भूखण्ड संख्या पी–8 क्षेत्रफल 2669.43 व.मी. भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण), को महिला थाना जिला जयपुर (ग्रामीण) के प्रशासनिक / आवासीय भवनों हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर–10 में भूखण्ड संख्या पी–8 क्षेत्रफल 2669.43 व.मी. भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पूर्व एलपीसी के निर्णयानुसार पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जयपुर से उपायुक्त द्वारा पत्र व्यवहार किया गया। किन्तु पुलिस अधीक्षक कार्यालय हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि चाही जा रही है। इस भूखण्ड का महिला थाना हेतु आवंटन करने हेतु लिखा है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जयपुर के कार्यालय भवन हेतु उपयुक्त है। महिला थाना जिला जयुपर (ग्रामीण) हेतु पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जयपुर के क्षेत्राधिकार के ग्रामींण क्षेत्र में भूमि चिन्हित की जावे।
3.	4	141:3	श्रीमती सरोज देवी को सवाई गैटोर आवासीय योजना में जवाहर सर्किल के विस्थापित खातेदार को पुनर्वास नीति के तहत आवंटित भूखण्ड संख्या 16ए के स्थान पर मौके पर काबिज निर्माण के आधार पर भूखण्ड संख्या 11 का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–4 द्वारा श्रीमती सरोज देवी को सवाई गैटोर आवासीय योजना में जवाहर सर्किल के विस्थापित खातेदार को पुनर्वास नीति के तहत आवंटित भूखण्ड संख्या 16ए के स्थान पर मौके पर काबिज निर्माण के आधार पर भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 78 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या 16ए पर श्री रामकिशोर शर्मा का कब्जा है। उपायुक्त ने बताया कि प्रार्थिया ने भूखण्ड संख्या 11 सम्पूर्ण क्षेत्रफल 78 वर्गमीटर पर मकान निर्मित कर लिया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या 16ए क्षेत्रफल 49 वर्गमीटर पर श्री रामकिशोर शर्मा का कब्जा होने के कारण प्रार्थिया के कब्जे के भूखण्ड संख्या 11 में से 49 वर्गमीटर का विनिमय करने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रार्थिया द्वारा पूरे मकान पर कब्जा कर निर्माण किया हुआ है। अतः अधिक क्षेत्रफल 29 वर्गमीटर को योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर

				आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	7	141:4	श्री भंवर लाल धोबी पुत्र श्री नन्द राम को जविप्रा की पुनर्वास योजना गिरधारीपुरा के भूखण्ड संख्या सी–168 क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर भूमि के आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार श्री भंवर लाल धोबी पुत्र श्री नन्द राम को भूखण्ड की पर्ची के अनुसार करतारपुरा कच्ची बस्ती जयपुर से बेदखल किया गया तथा गिरधारीपुरा पुनर्वास योजना के भूखण्ड संख्या सी–168 क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर पर बैठाया गया है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा बैठक के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज पेश किये। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री भंवर लाल धोबी को गिरधारीपुरा पुनर्वास योजना के भूखण्ड संख्या सी–168 क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर को पुनर्वास के प्रकरणों में ली जाने वाली वर्तमान प्रभावी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा मूल दस्तावेजों की प्रति प्रमाणित कर रिकॉर्ड कर रखा जावें।
5.	8	141:5	अन्तर्राष्ट्रीय पैरा खिलाडी दीपा मलिक पुत्री श्री कर्नल बी.के. नागपाल को जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार के भूखण्ड संख्या 425 व 426 में से एक भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अर्जुन अवार्डी अन्तर्राष्ट्रीय पैरा खिलाडी दीपा मलिक पुत्री श्री कर्नल बी.के. नागपाल को जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार के भूखण्ड संख्या 425 व 426 प्रत्येक क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थिया श्रीमती दीपा मलिक से उसके पति के अंकित नाम का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
6.	9	141:6	श्री आलोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री नाथू लाल गुप्ता को जविप्रा योजना रामनगरिया के मूल भूखण्ड संख्या ए–256ए के बढे हुये क्षेत्रफल का नियमानुसार नियमन करने बाबत।	श्री आलोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री नाथू लाल गुप्ता को समर्पित भूमि सैक्टर रोड रामनगरिया के बदले 240 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जाना था। जिसके बदले प्रार्थी को जविप्रा योजना रामनगरिया के मूल भूखण्ड संख्या ए–256ए क्षेत्रफल 231.00 वर्गमीटर भूमि का आवंटन/लीजडीड दिनांक 27.10.16 को जारी की गई। मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 294 वर्गमीटर हो गया है। प्रार्थी को आवंटित भूमि में 9 वर्गमीटर कम हो रही है तथा क्षेत्रफल 63 वर्गमीटर बढ़ रहा है। जिसका पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता। अतः उपायुक्त द्वारा कम रही भूमि 9 वर्गमीटर का समायोजन करते हुये राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत बढे हुये क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–256ए के बढ़े हुये क्षेत्रफल 63 वर्गमीटर में पूर्व में कम रही 9 वर्गमीटर भूमि का समायोजन करते हुये शेष 54 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	10	141:7	पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित 4 परिवारों को जविप्रा की सुमेल योजना में 45 वर्गमीटर के भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित 4 परिवारों (सूनी देवी उर्फ सनती माई पत्नी सुंदरमल, कु. गुड्डू पुत्री सुंदरमल सिंह, बेबी पत्नी श्री धारा सिंह भाटी, कु. कल्लो उर्फ मुक्तिमाई पुत्री श्री सुन्दरमल सिंह) को जविप्रा की सुमेल योजना में 45 वर्गमीटर के भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित चारों परिवारों को सुमेल योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से प्रत्येक को 45-45 वर्गमीटर का एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व यह

				पुष्टि कर ली जावे कि उक्त परिवारों को पूर्व में भूखण्ड आवंटन नहीं हुआ है।
8.	11	141:8	श्री नन्दलाल मीणा पुत्र स्व. श्री गोपीराम मीणा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 1422–सी का आवंटित क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार 730.8 वर्गमीटर क्षेत्रफल रह जाने के कारण अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री नन्दलाल मीणा पुत्र स्व. श्री गोपीराम मीणा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 1422–सी क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड का मौके पर क्षेत्रफल 730.8 वर्गमीटर हो रहा है। जिससे भूखण्ड का क्षेत्रफल आवंटित क्षेत्रफल से 519.2 वर्गमीटर कम हो रहा है। सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा में 1250 वर्गमीटर भूमि का कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर नजदीकी पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द (राजदरबार) में समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्ड संख्या 27–सी क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के भूखण्ड संख्या 1422–सी के स्थान पर सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द (राजदरबार) में समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्ड संख्या 27–सी का विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
9.	12	141:9	श्री नितिन कुमार यादव को रघुनाथ विहार के भूखण्ड संख्या बी–12 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि रघुनाथ विहार के भूखण्ड संख्या बी–12 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन श्री नितिन कुमार यादव को किया गया था। जबकि उक्त भूखण्ड 90 वर्गमीटर का न होकर 162 वर्गमीटर का भूखण्ड है। जिसे सहवन से लॉटरी में 90 वर्गमीटर के भूखण्डों में शामिल कर लिया गया। प्रार्थी श्री यादव द्वारा 90 वर्गमीटर के भूखण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया था एवं आय के अनुसार 90 वर्गमीटर के भूखण्ड आवंटन की पात्रता रखता है। अतः उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या बी–12 के स्थान पर 9 मीटर सडक पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या बी–58, बी–97, बी–116, बी–120, बी–186, बी–187, बी–220, बी–263, बी–268, बी–277, बी–288, बी–299, बी–302, बी–306, बी–370 में से एक भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर रघुनाथ विहार के भूखण्ड संख्या बी–12 के स्थान पर पात्रता के अनुसार 90 वर्गमीटर के उक्तानुसार उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
10.	12	141:10	श्री रामजीलाल जाट पुत्र श्री बल्लुराम जाट को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्ड संख्या 348(सी) का मौके पर क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी से एल.आई.जी. श्रेणी का होने से बढे हुये क्षेत्रफल की राशि ली जाकर भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री रामजीलाल जाट पुत्र श्री बल्लुराम जाट को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्ड संख्या 348(सी) क्षेत्रफल 44.15 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। भूखण्ड का मौके पर 4.49 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ़कर 48.64 वर्गमीटर हो जाने से उक्त भूखण्ड ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के स्थान पर एल.आई.जी. श्रेणी का हो गया। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल को ई डब्ल्यू.एस. श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर ली जाकर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 348(सी) में बढ़े हुये क्षेत्रफल 4.49 में से 0.85 वर्गमीटर ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से एवं शेष 3.64 वर्गमीटर भूमि एल.आई.जी. श्रेणी की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

11.	12	141:11	जविप्रा की हाथोज विस्तार समूह आवासीय योजना में श्री जगदीश प्रसाद करनानी पुत्र स्व. श्री रघुमल करनानी को भूखण्ड संख्या डी–70 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि जविप्रा की हाथोज विस्तार समूह आवासीय योजना में श्री जगदीश प्रसाद करनानी पुत्र स्व. श्री रघुमल करनानी को भूखण्ड संख्या डी–70 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड पर मौके पर अतिक्रमण होने के कारण भौतिक कब्जा नहीं दिया गया। जिसके कारण इस भूखण्ड के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिया जाना प्रस्तावित है। परन्तु प्रश्नगत योजना में कोई भी नॉन कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से उपायुक्त द्वारा नीलामी हेतु भेजे गये डी–ब्लॉक के कॉर्नर भूखण्ड संख्या डी–41, डी–53, डी–69, डी–79 डी–104, डी–133 व डी–148 प्रत्येक क्षेत्रफल 157.5 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर हाथोज विस्तार समूह आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या डी–70 के स्थान पर उपलब्ध 157.5 वर्गमीटर के कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में वसूला जाने वाला कॉर्नर चार्जेज वर्तमान डी.एल.सी. दर या अन्तिम नीलामी दर जो भी अधिक हो से लिया जावें।
12.	13	141:12	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री सतीश कुमार गुप्ता को भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा शिक्षक श्री सतीश कुमार गुप्ता को वर्ष 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक 180 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक को अधिकतम 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री सतीश कुमार गुप्ता को राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध भूखण्डों में से 180 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	14	141:13	श्री लाभेश्वर जैन पुत्र श्री विनेश्वर जैन को जविप्रा की आवासीय योजना विप्र विहार के भूखण्ड संख्या 142 क्षेत्रफल 162 व.मी. को विनिमय में आवंटन करने बाबत।	श्री लाभेश्वर जैन पुत्र श्री विनेश्वर जैन को जविप्रा की आवासीय योजना विप्र विहार के भूखण्ड संख्या 42 क्षेत्रफल 162 व.मी. का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी की जा चुकी है। उक्त योजना का संशोधित मानचित्र दिनांक 07.05.15 का जारी किया गया है। जिसमें उक्त भूखण्ड कॉर्नर का होने के कारण लॉटरी दिनांक 30.06.16 में भूखण्ड संख्या 200 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर विनिमय में दिया गया। संशोधित भूखण्ड के सामने तारबंदी होने के कारण भूखण्ड की सम्पूर्ण भूमि नहीं मिलने से उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर समान क्षेत्रफल व समान सड़क के भूखण्ड संख्या 142 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा को भूमि की पैमाईश कराई जाकर भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त द्वारा प्राप्त किया जावें। प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही उपरान्त आगामी एलपीसी में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें।
14.	PRN (N-II) & 7	141:14	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय जयपुर को करणी विहार थाने के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम पांच्यावाला	उपायुक्त जोन–पीआरएन उत्तर (द्वितीय) द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय जयपुर को करणी विहार थाने के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम पांच्यावाला के खसरा नं. 176 में उपलब्धता के अनुसार 2628.40 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने

			के खसरा नं. 176 में उपलब्धता के अनुसार 2628.40 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन बाबत।	हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। करणी विहार थाने हेतु पूर्व में गिरधारीपुरा में 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त गिरधारीपुरा की भूमि पर पानी भरने के कारण पुलिस विभाग द्वारा उक्त भूमि लेने से मना कर दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में पुलिस थाना हेतु अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि प्राधिकरण स्तर पर निःशुल्क आवंटन की जा सकती है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को गिरधारीपुरा में आवंटित 3000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन निरस्त करते हुये ग्राम पांच्यावाला के खसरा नं. 176 में उपलब्ध 2628.40 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
15.	14	141:15	रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को wayside Amenities विकसित करने हेतु अनुबन्ध अनुसार जोन–14 क्षेत्र में ग्राम रातल्या में चैनेज 31+500 पर 10025.41 वर्गमीटर भूमि 28 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को wayside Amenities विकसित करने हेतु एम.ओ.यू. दिनांक 11.08.17 की बिन्दु संख्या 2.1 (iii) अनुसार जोन–14 क्षेत्र में ग्राम रातल्या में चैनेज 31+500 पर 10025.41 वर्गमीटर भूमि 28 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पूर्व में उक्त भूमि को मैसर्स सेनजोस सुप्रीम टोलवेज प्रा0लि0 को 28 वर्ष की लीज पर आवंटित किया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श कर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को चैनेज 31+500 पर 10025.41 वर्गमीटर भूमि एम.ओ.यू. की शर्तो अनुसार उपयोग में लिये जाने हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।
16.	4	141:16	हाडौती समाज को पूर्व में आवंटित महावीर नगर–प्रथम के सुविधा क्षेत्र की भूमि के बदले अन्यत्र वैकल्पिक भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया।
17.	9	141:17	अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जयपुर को कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जयपुर को कार्यालय भवन निर्माण हेतु जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई2–बी क्षेत्रफल 1350 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में राजकीय विभागों को उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर/कार्यालय हेतु अधिकतम 1000 वर्गमीटर भूमि प्राधिकरण स्तर पर निःशुल्क आवंटन की जा सकती है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई2–बी क्षेत्रफल 1350 वर्गमीटर को निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
18.	9	141:18	जविप्रा कर्मचारी योजना खूसर के भूखण्ड संख्या बी–40, ए–52 एवं बी–150 आवंटित क्षेत्रफल क्रमशः 162 व.मी., 252 व.मी. एवं 162 व.मी. के बढ़े हुये क्षेत्रफल क्रमशः 90.15	उपायुक्त जोन–9 द्वारा जविप्रा कर्मचारी योजना खूसर के भूखण्ड संख्या बी–40, ए–52 एवं बी–150 आवंटित क्षेत्रफल क्रमशः 162 व.मी., 252 व.मी. एवं 162 व.मी. के बढ़े हुये क्षेत्रफल क्रमशः 90.15 व.मी., 79.50 व.मी. एवं 72 व.मी. के आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल का आवंटन पुरानी दर

उप आयुक्त (...) विकास प्राधिकरण, ...

			व.मी., 79.50 व.मी. एवं 72 व.मी. के आवंटन बाबत।	4000/- रूपये प्र.व.मी. पर आवंटन करने का अंकन एजेण्डा नोट में किया है। योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 14000/- रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। पूर्व में जविप्रा कर्मचारियों को आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर राज्य सरकार की स्वीकृति से आवंटन किया गया है। उपायुक्त की टिप्पणी के अनुसार बढ़े हुये क्षेत्रफल का स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना के कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी-40, ए-52 एवं बी-150 में बढ़े हुये क्षेत्रफल क्रमशः 90.15 व.मी., 79.50 व.मी. एवं 72 व.मी. को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में नियमानुसार कॉर्नर चार्जेज भी वसूला जावें।
19.	9	141:19	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्रीमती आशा जैन को खूसर विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा शिक्षक श्रीमती आशा जैन को वर्ष 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से 162 वर्गमीटर का एक भूखण्ड आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक को अधिकतम 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्रीमती आशा जैन को खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध भूखण्डों में से 162 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
20.	9	141:20	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री सुरेश चन्द पाटीदार को खूसर विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा शिक्षक श्री सुरेश चन्द पाटीदार को वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से 162 वर्गमीटर का एक भूखण्ड आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक को अधिकतम 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री सुरेश चन्द पाटीदार को खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध भूखण्डों में से 162 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
21.	9	141:21	श्रीमती सज्जन कंवर पत्नी शहीद श्री बजरंग सिंह, कीर्ति चक्र धारी की विधवा होने से जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा श्रीमती सज्जन कंवर पत्नी शहीद श्री बजरंग सिंह, कीर्ति चक्र धारी की विधवा होने से जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार योजना के नवसृजित प्रस्तावित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 प्रत्येक 220 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत गैलेन्ट्री अवार्डी को अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। गैलेन्ट्री अवार्डी की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्रीमती सज्जन कंवर को खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 में से 220 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना

ति० आयुक्त (एल.पी.सी
पुर विकास प्राधिकरण,

				की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
22.	9	141:22	मेजर जनरल श्री ए एस चौहान, शौर्य चक्र धारी को जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा मेजर जनरल श्री ए एस चौहान, शौर्य चक्र धारी को जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार योजना के नवसृजित प्रस्तावित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 प्रत्येक 220 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत गैलेन्ट्री अवार्डी को अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मेजर जनरल श्री ए एस चौहान को खूसर विस्तार योजना में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 में से 220 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
23.	9	141:23	मेजर श्री विशाल सिंह राघव, शौर्य चक्र धारी को जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा मेजर श्री विशाल सिंह राघव, शौर्य चक्र धारी को जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार योजना के नवसृजित प्रस्तावित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 प्रत्येक 220 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत गैलेन्ट्री अवार्डी को अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मेजर श्री विशाल सिंह राघव को खूसर विस्तार योजना में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 में से 220 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
24.	9	141:24	सुश्री सुमित्रा शर्मा, को 17वीं एशियन गेम, 2014 में कबड्डी खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप जविप्रा की आवासीय योंजना खूसर विस्तार में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा सुश्री सुमित्रा शर्मा को 17वीं एशियन गेम, 2014 में कबड्डी खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार योजना के नवसृजित प्रस्तावित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 प्रत्येक 220 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है! राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अनुसार प्रकरण में अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सुश्री सुमित्रा शर्मा को खूसर विस्तार योजना में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 में से 220 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
25.	9	141:25	श्रीमती गंजू बाला को 17वीं एशियन गेम, 2014 में हैमर थ्रो में कांस्य पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्रीमती मंजू बाला को 17वीं एशियन गेम, 2014 में हैमर थ्रो में कांस्य पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार योजना के नवसृजित प्रस्तावित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 प्रत्येक 220 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण)

				नियम 1974 के नियम 17ए के अनुसार प्रकरण में अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्रीमती मंजू बाला को खूसर विस्तार योजना में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 में से 220 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
26.	9	141:26	श्री खण्डेलवाल वैश्य जाग्रति मण्डल समिति, प्रताप नगर को समाज सेवा हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री खण्डेलवाल वैश्य जाग्रति मण्डल समिति, प्रताप नगर को सामुदायिक भवन (समाज उपयोगी कार्यों) हेतु जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई2–डी क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के अनुसार सामुदायिक भवन हेतु अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की जा सकती है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को सामुदायिक भवन हेतु जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई2–डी क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) दर पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने से पूर्व प्रस्तावित भूमि के संबंध में संस्था से सहमति ली जावे।
27.	9	141:27	अखिल भारतीय रबारी (रायका) समाज सेवा संस्थान द्वारा छात्रावास हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा अखिल भारतीय रबारी (रायका) समाज सेवा संस्थान, हरिद्वार को छात्रावास हेतु जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–2सी क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की भूमि आवंटन नीति–2015 में छात्रावास हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान व मापदण्ड वर्णित नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को छात्रावास हेतु जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई2–सी क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) दर पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने से पूर्व प्रस्तावित भूमि के संबंध में संस्था से सहमति ली जावे।
28.	9	141:28	श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को जनोपयोगी भवन (कम्यूनिटी सेंटर) हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को जनोपयोगी भवन (कम्यूनिटी सेंटर) हेतु जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–2ए क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के अनुसार सामुदायिक भवन हेतु अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की जा सकती है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को सामुदायिक भवन हेतु जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई2–ए क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) दर पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित करने का

				निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने से पूर्व प्रस्तावित भूमि के संबध में संस्था से सहमति ली जावे।
29.	12	141:29	श्री मनोज खण्डेलवाल को केदार विहार योजना के भूखण्ड संख्या ई–128 अन्य को आवंटित होने से विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि केदार विहार के भूखण्ड संख्या जी–578 क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर का आवंटन श्री मनोज खण्डेलवाल को किया गया था। किन्तु भूखण्ड का मौके पर कब्जा नहीं दिये जाने के कारण दिनांक 27.09.17 को निकाली गई लॉटरी में भूखण्ड संख्या ई–128 आवंटित किया गया। उक्त भूखण्ड संख्या ई–128 पूर्व में ही अन्य को आवंटित है। अतः उपायुक्त द्वारा केदार विहार योजना में भूखण्ड संख्या ई–128 को सहवन से किया गया आवंटन मानते हुये योजना में समान क्षेत्रफल व समान चौडाई की सड़क पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या सी–36, सी–60, सी–61, सी–64, सी–80, सी–82, सी–83, सी–84, सी–96, सी–97, सी–100 व सी–105 कुल 12 भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर केदार विहार के भूखण्ड संख्या ई–128 के स्थान पर समान माप व चौड़ाई की सड़क पर उपलब्ध उक्त 12 भूखण्डों नें से एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
30.	13	141:30	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री रामावतार शर्मा को राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा शिक्षक श्री रामावतार शर्मा को वर्ष 1998 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से 180 वर्गमीटर का एक भूखण्ड आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक को अधिकतम 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री रामावतार शर्मा को राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध भूखण्डों में से 180 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
31.	9	141:31	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री विनोद कुमार जैन को खूसर विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 126वीं बैठक दिनांक 10.08.16 में श्री विनोद कुमार जैन को वर्ष 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त योजना के स्थान पर खूसर योजना, जगतपुरा में आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–9 द्वारा शिक्षक श्री विनोद कुमार जैन को वर्ष 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से 162 वर्गमीटर का एक भूखण्ड आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक को अधिकतम 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री विनोद कुमार जैन को राजभवन योजना में किया गया आवंटन निरस्त करते हुये इसके स्थान पर खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध भूखण्डों में से 162 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

[illegible] आयुक्त ([illegible])
[illegible]पुर विकास प्राधिकरण, [illegible]

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

32.	9	141:31(1)	रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को wayside Amenities विकसित करने हेतु अनुबन्ध अनुसार जोन–9 क्षेत्र में ग्राम गोनेर में चैनेज 12+250 (LHS) पर 10068.64 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को wayside Amenities विकसित करने हेतु एम.ओ.यू. दिनांक 11.08.17 की बिन्दु संख्या 2.1 (iii) अनुसार जोन–9 क्षेत्र में ग्राम गोनेर में चैनेज 12+250 (LHS) पर 10068.64 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पूर्व में उक्त भूमि को मैसर्स सेनजोस सुप्रीम टोलवेज प्रा0लि0 को 28 वर्ष की लीज पर आवंटित किया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श कर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को चैनेज 12+250 (LHS) पर 10068.64 वर्गमीटर भूमि एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार उपयोग में लिये जाने हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।
33.	12	141:31(2)	ग्राम पंचायत दहमीकला को जविप्रा योजना दहमीकलां में श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि जविप्रा योजना दहमीकलां में प्रस्तावित 60 मीटर सड़क व संस्थानिक भूखण्ड 01 (एन.आई.डी. को आवंटित) के पश्चिम दिशा की ओर मौके पर श्मशान स्थित है। जिस कारण मौके पर सडक का निर्माण नहीं किया जा सका, क्योंकि उक्त श्मशान का लगभग आधा भाग सड़क सीमा से प्रभावित है। ग्राम पंचायत द्वारा सड़क सीमा से प्रभावित होने के पश्चात् शेष बची भूमि श्मशान हेतु आवंटन की मांग की गई है। अतः उपायुक्त द्वारा मौके पर उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल 3832.24 वर्गमीटर को श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम दहमीकलां में मौके पर निर्माण अनुसार उक्त 3832.24 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
34.	14	141:31(3)	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिहारीपुरा, पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर को विद्यालय भवन व खेल के मैदान हेतु आवंटित भूमि को निरस्त करने बाबत।	एलपीसी की 130वीं बैठक दिनांक 12.01.2017 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिहारीपुरा, पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर को विद्यालय भवन व खेल के मैदान हेतु ग्राम बिहारीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 220 में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। जिसे बाद में आरक्षित किया गया था। उपायुक्त द्वारा उक्त भूमि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि में होने के कारण आवंटन/आरक्षण को निरस्त करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विद्यालय व खेल मैदान हेतु किया गया आवंटन/आरक्षण निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
35.	9	141:31(4)	श्री बजरंग लाल ताखर पुत्र श्री दुल्लाराम ताखर को 16वीं एशियन गेम, 2010 में नौकायन में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 105वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार श्री बजरंग लाल ताखर को राजभवन योजना में भूखण्ड संख्या बी–198 का आवंटन किय गया था। जिसकी मांग राशि 313600/– प्रार्थी द्वारा जमा करा दी गई। किन्तु श्री ताखर द्वारा चित्रकूट योजना में भूखण्ड आवंटन का निवेदन किया गया है। जिसके क्रम में एलपीसी की 119वीं बैठक दिनांक 11.09.15 में चित्रकूट योजना में भूखण्ड संख्या बी–2/418 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर का आवंटन व

उप आयुक्त (पूर्व पा.मो.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

				दर के निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 09.01.18 में निर्धारित सीमा से अधिक का भूखण्ड आवंटन करने से मना करते हुये ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु 220 वर्गमीटर का एक ब्लॉक सृजित करने के निर्देश दिये हैं। अतः उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री बजरंग लाल ताखर को जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार योजना के नवसृजित प्रस्तावित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 प्रत्येक 220 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अनुसार प्रकरण में अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री बजरंग लाल ताखर को खूसर विस्तार योजना में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 में से 220 वर्गमीटर का एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
36.	9	141:31(5)	ग्राम पंचायत दांतली को ग्राम सिरोली में श्मशान के लिए भूमि आरक्षण करने बाबत।	एलपीसी की 127वीं बैठक दिनांक 20.09.16 में ग्राम पंचायत दांतली के ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2138 क्षेत्रफल 13.70 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। उक्त खसरा नं. 2138 पर जविप्रा की सिरोली व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना की प्लानिंग की जा चुकी है एवं उक्त भूमि भूखण्ड संख्या जी–3 क्षेत्रफल 29987.00 वर्गमीटर का पार्ट है। एलपीसी की 133वीं बैठक दिनांक 12.04.17 में उक्त 2500 वर्गमीटर भूमि की रि–प्लानिंग कराने का निर्णय लिया गया था। पी. डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 05.01.18 में उक्त भूमि को श्मशान हेतु अनुमोदन करने का निर्णय लिया जा चुका है। अतः उपायुक्त द्वारा जविप्रा की सिरोली व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना के भूखण्ड संख्या जी–3 में से भूखण्ड का उत्तरी हिस्से में अनुमोदित 2500 वर्गमीटर भूमि 30 मीटर सडक पर श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर सिरोली व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना में प्रस्तावित 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

31.1.18

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I / II व दक्षिण–I / II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 141वीं बैठक दिनांक 23.01.2018 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुईटे, सचिव	सदस्य
3.	श्री ह्रदेश कुमार जुनेजा, निदेशक(वित्त)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक(अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
5.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
6.	श्री उज्ज्वल राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री सैयद जैनुद्दीन शाहिद, विशेषाधिकारी (आर.एम.)	विशेष आमंत्रित
8.	श्रीमती लवंग शर्मा, परामर्शी (नगर नियोजन)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री मनोज कुमार, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
11.	डॉ. सत्यप्रकाश कस्वां, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
12.	श्री प्रदीण कुमार अग्रवाल, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
13.	श्री रामनारायण बड़गुर्जर, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
14.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
16.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
17.	श्री बी0 सी0 गंगवाल, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
18.	श्री लक्ष्मीनारायण बुनकर, उपायुक्त पी.आर.एन.(उत्तर–द्वितीय)	विशेष आमंत्रित
19.	श्रीमति एकता काबरा, उपायुक्त पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय)	विशेष आमंत्रित
20.	श्री बद्रीनारायण मीणा, तहसीलदार जोन–14	विशेष आमंत्रित
21.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित